## IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

## F.D-06/2017

SOGARATH RAI & OTHERS..................................D.H

Vs.

SURESH RAI & OTHERS..................................J.D

ORDER

25.02.22 पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। डिक्रीदार की ओर से एक प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया साथ ही मदीउन की ओर से मदीउन सं0–12 की मृत्यु का सूचना आवेदन दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पर उभय पक्षों को सुना गया।

डिक्रीदार का कथन है कि प्रस्तुत वाद के मदीउन सं0–12 विशुनदेव राय की मृत्यु दिनांक–11.02.22 हो गयी है, जिनकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है तथा उनके वारिसान पूर्व से इस वाद में मदीउन सं0–13 ता 16 के रूप में पक्षकार है। अतः मदीउन सं0–12 का नाम विलोपित करने की कृपा की जाए। मदीउन की ओर उक्त आवेदन पर मौखिक सहमति जताई गयी है।

अभिलेख का अवलोकन किया। डिक्रीदार का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है एवं समय–सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय तदनुसार मृत मदीउन सं0–12 का नाम विलोपित करे।

दिनांक– 29.04.2022 वास्ते सुनवाई अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन पर। 25/02/22

अवर न्यायाधीश